



संदर्भ सं. राबैं.पुनर्वित्त-नीति /9091-9121/आईएस-1/2024-25

परिपत्र सं. 106 /पुनर्वित्त- 23 /2024

03 जून 2024

प्रबंध निर्देशक  
सभी राज्य सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

## **वर्ष 2024-25 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि ऋणों पर ब्याज सहायता योजना जारी रखना**

कृपया वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान अल्पावधि फ़सल ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना पर हमारे दिनांक 8 सितम्बर 2022 के परिपत्र संख्या 203 (संदर्भ सं राबैं.डोर –नीति /909/ आईएस-1/ 2022-23) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में, यह सलाह दी जाती है कि MoA&FW, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या F.No.1-4/ के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए KCC के माध्यम से प्राप्त ब्याज अनुदान योजना (ISS) को संशोधन के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2020-क्रेडिट-1 दिनांक 29 अप्रैल 2024 निम्नलिखित शर्तों के साथ:

क. आधार स्तर पर किसानों को दिए जाने वाले ₹3.00 लाख तक के (अधिकतम 2.00 लाख रु प्रति किसान तक के पशुपालन, मत्स्य पालन, डेरी एवं मधुमक्खी पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण) अल्पावधि ऋणों (फ़सली ऋण और पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण) के लिए अपनी निजी निधियों का उपयोग करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी बशर्ते ऋण दाता संस्थाएं 7% प्रति वर्ष की दर से आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराएं. फसल ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण की राशि पर 1.5% ब्याज सहायता की गणना अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन संवितरण/ आहरण तिथि से किसान द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि अथवा बैंक द्वारा निर्धारित भुगतान की विहित तिथि में जो भी पहले होगी, उस अवधि तक के लिए की जाएगी. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किसानों को ब्याज छूट और ऋण दर के लिए लागू ब्याज दर इस प्रकार होगी:

वित्तीय वर्ष	किसानों को ऋण दर	ब्याज सहायता के लिए दर
2024-25	7%	1.5%

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

[www.nabard.org](http://www.nabard.org)

Taking Rural India >>

ख. समय पर फ़सली/कार्यशील पूंजी ऋणों की चुकौती करने वाले किसानों के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन संवितरण /आहरण तिथि से किसान द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि अथवा बैंक द्वारा निर्धारित भुगतान की विहित तिथि में से जो भी कम हो उस अवधि के लिए 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध होगी। यह ब्याज सहायता किसानों को, अधिकतम 3 लाख रूपाय तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण पर और पशुपालन, मत्स्य पालन, डेरी, मधुमाखी पालन आदि के लिए कार्यशील पूंजी पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक उपलब्ध होगा। अर्थात् समय पर से ऋण की चुकौती करने वाले किसानों को वर्ष 2024-25 के दौरान 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण मिलेगा। फ़सली ऋण/ कार्यशील पूंजी ऋण लेने के एक वर्ष बाद चुकौती करने वाले किसानों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

ग. किसान क्रेडिट कार्ड धारक-छोटे और सीमांत किसानों को गरजू बिक्री से रोकने और अपनी उपज भंडारागारों में रखने के लिए उन्हें बढ़ावा देने के प्रयोजन से भंडारागार विकास विनियामक प्रधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा प्रमाणीकृत भंडारागारों में उपज भंडारित करने पर परक्राम्य भंडारागार रसीदों के समक्ष फसल लेने के बाद और 06 माह की अवधि के लिए उसी दर पर ब्याज सहायता दी जाएगी जिस दर पर फ़सल/ कार्यशील पूंजी ऋणों पर दी जाती है।

घ. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु पुनःसंरचित राशि पर पहले वर्ष के लिए उपलब्ध उसी साल की ब्याज सहायता की सुविधा जारी रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इस प्रकार के पुनःसंरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

ङ. हालांकि, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए, पुनःसंरचित ऋण राशि पर बैंकों को पहले तीन वर्षों / संपूर्ण अवधि (अधिकतम 5 वर्ष की अवधि) के लिए 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी। इसके अलावा, ऐसे सभी मामलों में, प्रभावित किसानों को प्रति वर्ष @ 3% प्रति वर्ष का पुनर्भुगतान पर ब्याज प्रोत्साहन का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के ऐसे मामलों का अनुदान, एक उच्च-स्तरीय समिति (HLC) द्वारा तय किया जाना जाएगा, जो अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (SC-NEC) की उप समिति की सिफारिश पर आधारित होगा।

3. इसके अलावा, हमारे दिनांक 13.03.2020 के परिपत्र संख्या -62 द्वारा, 01.04.2020 से वितरित अल्पावधि ऋणों पर ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए केसीसी को अनिवार्य बनाया गया है।

4. बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे एसवाई 2022-23 से किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) पर योजना के तहत लाभार्थियों का श्रेणी-वार डेटा अनिवार्य रूप से बनाए रखें और प्रस्तुत करें। इसके अलावा, योजना वर्ष 2020-21 तक के ऑडिट किए गए दावे 07 जून 2024 तक भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

5. भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आधार लिंकिज को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए बैंक द्वारा इस संबंध में डेटा बनाए रखा जाए। दावों के साथ हमेशा एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें कहा गया हो की सभी दावे आधार से जुड़े हुए हैं।

6. सभी ऋणदात्री संस्थाओं से अनुरोध है की वे कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण/केसीसी और एमाइएसएस (जब भी वे कोई जारी करें) से संभन्धित निर्देशों/ परिपत्रों की एक प्रति संयुक्त सचिव (क्रेडिट), कृषि और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली -110001, कृषि भवन को भेजें।

भवदीय

(एन नीरजा)  
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)